



सत्यमेव जयते

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) – द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh



क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / राजस्थान-01 / 2018.-19

दिनांक:- 06-02-2019

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी

विषय:- दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिकों के सेवा में रहते मृत्यु को प्राप्त होने/निःशक्त होने पर राहत स्वरूप पारिवारिक पेंशन/निःशक्ता पेंशन के संशोधन के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. कार्यालय महालेखाकार राजस्थान, जयपुर से प्राप्त प्राधिकार क्रमांक पेंशन प्राधि./ आदेश / 2018-19 / 3581 दिनांक 27.12.2018
 2. राजस्थान सरकार निदेशालय, पेंशन व पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर पत्रांक प. 5(294)निपेवि/नियम/2017/2598-2670एच दिनांक 30.11.2018

उपरोक्त विषय में लेख है कि निदेशालय, पेंशन व पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर पत्रांक प.5(294)निपेवि/नियम/2017/2598-2670एच दिनांक 30.11.2018 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.agmp.cag.gov.in पर भी उपलब्ध है।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन



701479

R-147289.645

संख्या / No.....पेंशन प्राधि./आदेश/2018-19/ 358/

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date...27/11/2018

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) I,
भद्रप उदेश, लेखा भवन, सैली रोड,
ज्वालियर 474002 -

विषय:- दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिकों के सेवा में रहते मृत्यु को प्राप्त होने / निःशक्त होने पर राहत स्वरूप पारिवारिक पेंशन / निःशक्ता पेंशन के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(294)निपेवि/नियम/2017/2598-2670H दिनांक 30.11.2018 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त स्पष्टीकरण अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों /

पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे।

संलग्न:- स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 30.11.2018 की प्रति


भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

DA-137

10-1-19

Dr. Hemant



राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर


क्रमांक :- प.5 (294) / निपेवि/नियम/2017/ 2598-2670-H

दिनांक : 30-11-2018

स्पष्टीकरण

वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ.12(6)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 24.01.2018 बाबत विभिन्न कोषाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्ति हेतु इस विभाग को पत्र लिखे जा रहे हैं कि उक्त आदेश के तहत दिनांक 01.01.2016 को दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिकों के सेवा में रहते मृत्यु को प्राप्त होने/निःशक्त होने पर अतिरिक्त राहतस्वरूप पारिवारिक पेंशन/निःशक्तता पेंशन भी बैंक द्वारा 2.57 से गुणा करके संशोधित की जानी है अथवा नहीं।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त मेमोरेण्डम में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिकों के सेवा में रहते मृत्यु को प्राप्त होने/निःशक्त होने पर पारिवारिक पेंशन/निःशक्तता पेंशन का संशोधन निषेध नहीं किया गया है तथा बैंक द्वारा ऐसे प्रकरणों में भी वित्त (नियम) विभाग के उक्त मेमोरेण्डम दिनांक 24.01.2018 की पालना में पारिवारिक पेंशन/निःशक्तता पेंशन को भी 2.57 से गुणा कर संशोधित किया जावेगा।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

PA


6.12.18

निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), एस.बी.आई. तिलक मार्ग, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 13, बड़ौदा भवन क्षेत्रीय कार्यालय पांचवी मंजिल एयरपोर्ट प्लाजा टॉक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. सहायक उप महाप्रबन्धक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसारचन्द्र रोड, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक, यू.को.बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, आर्कड इन्टरनेशनल, अजमेर रोड, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, किसान भवन, लाल कोठी, सब्जी मण्डी, जयपुर।
6. सहायक महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, एलआईसी बिल्डिंग जीवन निधि भवन अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह रोड जयपुर।
7. सर्किल मैनेजर (फील्ड महाप्रबन्धक), पंजाब नेशनल बैंक 2, नेहरू पैलेस, टॉक रोड, जयपुर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक (उप महाप्रबन्धक), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन, द्वितीय तल, संसारचन्द्र रोड, जयपुर।
9. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, बी-4 सेक्टर 2 जवाहर नगर जयपुर (व्हाइट हाउस के पास)
10. मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र- 6 वां तल फॉर्च्यून हाइट्स सी-94, मुख्य सुभाष मार्ग अहिंसा सर्किल सी-स्कीम जयपुर।
11. उपमहाप्रबन्धक (बैंकिंग एण्ड ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस-1) एसबीआई, नेहरू पैलेस टॉक रोड जयपुर।
12. सहायक महाप्रबन्धक (CPPC), SBI, एसएमएस हाईवे, चौड़ा रास्ता जयपुर।
13. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त कोषाधिकारी,
15. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर निदेशक, कोष एवं लेखा, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/उप कोषाधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।
16. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षे. का.(राज.)
17. उप निदेशक/एसीपी अनुभाग, कार्यालय हाजा, को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
18. संयुक्त /सहा./उपनिदेशक, समस्त अनुभाग.....कार्यालय हाजा।
19. निजी सचिव/निजी सहायक कार्यालय हाजा।
20. विशेषाधिकारी, कार्यालय हाजा।

545
10/12/18

8207
05 DEC 2018


संयुक्त निदेशक
रज.प.एस